# भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के वाहियात बयान

**धीरेश सेनी**

**प्रज्ञा** ठाकुर को भोपाल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद शहीद पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे के ख़िलाफ़ वाहियात बयानबाजी फिर शुरू कर दी गई है। एक बहुत पुराने दोस्त ने भी करकरे की भूमिका को लेकर शंका जताते हुए कमेंट किया तो तत्काल उसे समझाने के लिए कुछ बातें। उन लोगों के लिए नहीं जो गाँधी की हत्या से लेकर अब तक इन लोगों की हर कारगुजारी से सन्तुष्ट हैं। उनके लिए जो मीडिया के झूठ के शोर में कुछ तथ्यों तक पहुंच नहीं पाते हैं।

विवेक से काम लोगे तो चीज़ें दिखाई देंगी। भावुक हुए बिना धैर्य के साथ इन तीन मामलों मक्का मस्जिद ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट और समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट कर बारे में उपलब्ध तथ्यों से गुज़रोगे तो।

मोटे तौर पर कुछ बातें ध्यान में रखो।

1- प्रज्ञा ठाकुर को किसी क्रिमिनल केस में सबसे पहली बार किसी ग़ैर संघी सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया था।

वह मध्यप्रदेश की आरएसएस की राजनीतिक विंग भाजपा की ही सरकार थी जिसने प्रज्ञा ठाकुर को आरएसएस के ही प्रभावी नेता जोशी की हत्या में चार्जशीटेड किया था। जोशी का नाम समझौता ब्लास्ट में भी आ चुका था। उस पर अभद्र आचरण के आरोप भी उभर रहे थे। यह संघ परिवार के भीतर का अंदरूनी क्रिमिनल मामला था। हड़कंप मचना स्वाभाविक था और लीपापोती भी। सवाल यह है कि एक संघ की सरकार ने एक संघ के प्रभावी आदमी की हत्या के मामले में संघ की ही प्रज्ञा ठाकुर को क्यों फंसाया था?

सवाल यह भी है कि इस केस में तत्कालीन शिवराज सरकार ने न हाई कोर्ट में अपील की और न अपने ही प्रचारक की हत्या के केस को सुलझाने की कोशिश की। क्यों? जिस फैसले से आरोपी बरी हुए, वह फैसला भी जांच एजेंसियों के रवैये पर सवाल उठाता है। समझ सकते हो कि सवाल अंततः उस सरकार पर थे जिसने खुद इस केस में पलटी मार दी और सबूतों को प्रड्यूस नहीं होने दिया।

यह भी ध्यान रखने की बात है कि जोशी की हत्या ने होती और वह जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ता तो समझौता केस में उसकी शिनाख़ूत की कार्यवाही भी होती। जोशी की तो हत्या कर दी गई और उसके दो साथियों दांगे और कलसांगरा को रहस्यमय ढंग से गायब कर दिया गया। यही तीनों थे जिनकी समझौता केस में इस्तेमाल किए गए सूटकेसेज की खरीद के सिलसिले में दुकानदार के सामने ले जाया जाता।

2- जब तुम निर्दोष लोगों को फंसाने की बात करते हो तो एक भयावह सच की ही

बात करते हो। लेकिन, तुम शायद ही कभी उन मामलों पर बात करने में दिलचस्पी लो जो उन आतंकवादी मामलों से जुड़े हैं जिनमें मुस्लिम युवाओं को उठाकर जेलों में ठूंस दिया गया और जिन्हें सब कुछ तबाह हो जाने के बाद अदालतों ने बरी किया। उनके साथ न सत्ता का ऐसा नंगा समर्थन था और न आप जैसे लोगों की सहानुभूति जो मानकर चलते हैं कि आतंकवाद की वारदातों में मुसलमान नाम स्वाभाविक हैं।

**3- तुम्हारी जानकारी के लिए यह कि मक्का मस्जिद विस्फोट केस में भी आनन-फानन में कुछ मुसलमान लड़कों को उठाकर अंदर कर दिया गया था। हेमंत करकरे मौके से उस मोटरसाइकिल को बरामद न करते जो प्रज्ञा ठाकुर की थी तो वही लड़के जेलों में सड़ते रहते। तुम्हारे कहे अनुसार, मान लें कि केस खोलने में साजिश रची गई तो फिर संघ की इतनी लंबी सरकार उन लड़कों के खिलाफ सबूत क्यों नहीं ला पाई, जिन्हें आनन-फानन में उठा लिया गया था और जिन्हें प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल बरामद होने के बाद छोड़ना पड़ा।**

वास्तविकता यह है कि करकरे की जांच और उन्हें हासिल हुई सबूत इतने पुख्ता थे कि पूरा संघ परिवार हिल उठा था। उन सबूतों की कोई काट कभी नहीं रही सिवा इसके कि एक क़ाबिल अफसर के चरित्रहनन का अभियान शुरू कर दिया जाए। सत्ता के बूते उन सबूतों को कोर्ट में पेश किए जाने से ही रोक दिया जाए और साक्ष्यों को नष्ट कर दिया जाए।

क्या तुम जानते हो कि 164 के बयान तक गायब कर दिए गए? वे बयान जो पुलिस कस्टडी में नहीं होते, अदालत के सामने होते हैं।

बहादुरी से मुंबई अटैक मामले में लोहा लेने निकले उस अफसर करकरे के शहीद होने के बाद भी जो सवाल उनकी पत्नी ने उठाए, उनका जवाब आना ही बाकी है। हैरानी क्या कि एक शहीद अफसर के चरित्र हनन पर पूरा कुनबा मैदान में उतर आए।

3- अगर तुमने नहीं पढ़ा हो तो एक-डेढ़ महीने पहले आए समझौता ब्लास्ट के फैसले को भी पढ़ लेना। जज किसी आरोपी को बेदाग़ बरी नहीं करता। वह लिखता है कि जांच एजेंसी ने केस के सबसे बेहतरीन साक्ष्यों को दबा दिया। इसका मतलब समझते हो?

4- बाकी, प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव विस्फोट केस की आरोपी अभी भी है।

5- समझौता एक्सप्रेस केस की शुरुआती जांच करने वाली एसआइटी के प्रमुख रहे हरियाणा पुलिस के अवकाश प्राप्त डीजीपी विकास नारायण राय की एक अकेली पंक्ति जो उन्होंने समझौता एक्सप्रेस केस के बारे में कही, पूरे मसले को समझने के लिए काफी होनी चाहिए। वह यह कि उनकी जांच में कोई गड़बड़ी थी तो भाजपा सरकार के दौरान जांच की लाइन क्यों नहीं बदल दी गई। क्यों नहीं, नये साक्ष्यों के साथ अडिशनल चार्जशीट पेश कर दी गई

6- जहां तक प्रताड़ना और बीमारी का सवाल है और गौमूत्र से कैंसर के इलाज का सवाल है तो जो बीमार का हाल और उज़की गतिविधियां हैं, वही सब समझने के लिए काफी हैं। प्यारी आंटी मतलब तुम्हारी मम्मी बरसों से जिस हाल में हैं और कोशिशों के बावजूद वो गठिया भागता नहीं है, अगर गौमूत्र से सम्भव होता तो सबसे पहले मैं उन्हें उस इलाज पर ले जाता।

ऐसा न हो कि अपने निकट के किसी जन को तुम कैंसर से गुजरते देखो और महसूस करो कि कैंसर क्या बला होती है और आदमी की शक्ल-ओ-सूरत क्या बना देती है। हमने अपने निकट रिश्तेदार कैंसर से खोए हैं और हमारा गांव तो बहुत सारे लोग इस बीमारी से खो चुका है।

# मालेगांव धमाके के बाद एक अन्य आरोपी से फोन कर प्रज्ञा ने पूछा कि इस ब्लास्ट में इतने कम लोग क्यों मरे हैं?

**यदि कांग्रेस आतंकियों की भाषा बोलती है,तो जरा प्रज्ञा ठाकुर की इस भाषा पर आप क्या कहेंगे जिसमें वे मालेगांव ब्लास्ट ( इसमें वे दोषमुक्त नही हुई हैं ) के ही एक आरोपी रामजी कलसांगरा से मोबाइल पर जानकारी ले रही हैं कि इस ब्लास्ट में इतने कम लोग कैसे मरे...यह कॉलडिटेल आज भी जांच एजेंसियों के पास उपलब्ध है...अब आप बताइए यह कृत्य किसी साध्वी ( फर्जी ) का है या आतंकवादी का! आतंकियों की भाषा कौन सी विचारधारा बोल रही है ! क्या आप और आपकी पार्टी इन रिकार्डेड शब्दों का समर्थन करती है?**

# कार्रवाई तो दूर हेट स्पीच पर मोदी-शाह को चेतावनी देने की हिम्मत भी न कर सका चुनाव आयोग

**मोदी-शाह द्वारा चुनावी सभाओं में सेना के नाम पर वोट मांगने और हेट स्पीच के बावजूद चुनाव आयोग की क्लीनचिट से एक बार फिर साफ हो गया है कि अब चुनाव आयोग भी मोदी सरकार की जेबी संस्था में हो चुकी है पूर्णतया तब्दील...**

**वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट**

मोदी-शाह को हेट स्पीच और सेना के राजनीतिक इस्तेमाल पर क्लीनचिट देने से कटघरे में चुनाव आयोग खुद कटघरे में आ गया है। हैट स्पीच और सेना के राजनीतिक इस्तेमाल पर चुनाव आयोग मोदी—शाह पर कोई कार्रवाई करना तो दूर, उन्हें चेतावनी भी न दे पाया। बल्कि उन्हें क्लीनचिट देकर साबित कर दिया कि वह मोदी सरकार का भोंपू बन चुका है।

उच्चतम न्यायालय में तीन हाईप्रोफाइल मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें राहुल ने उच्चतम न्यायालय के हवाले 'चौकीदार चोर है' कहने के लिए उच्चतम न्यायालय से मा ी मांग ली है और राहुल की तरफ से नया एफिडेविट उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा राफेल पर सुनवाई को करीब 4 हफ्ते के लिए टालने के अनुरोध को अस्वीकृत करते हुये उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केंद्र को अपना जवाब शनिवार 4 मई तक देना होगा।

इसके साथ ही न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की। कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत पर उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग से जवाब तलब किया, तो चुनाव आयोग ने पीएम नरेंद्र मोदी को सेना के नाम पर वोट मांगने के आरोपों पर क्लीनचिट दे दी है। आयोग ने कहा है कि पीएम मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया।

**राहुल गांधी ने खेद के बजाय माफी मांगी**

'बिन भय होय न प्रीत' की बात एक बार फिर उच्चतम न्यायालय में चरितार्थ हुई जब न्यायालय की भृकुटी टेढ़ी होते ही राहुल गाँधी के वकील ने खेद जताने की जगह माफी मांग ली। राफेल डील से जुड़े उच्चतम न्यायालय के एक फैसले पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उच्चतम न्यायालय ने उन्हें फटकार लगाई है।

न्यायालय ने राहुल से सवाल किया कि हमने कभी नहीं कहा कि 'चौकीदार चोर है', आपने ये हमारे नाम से कैसे इस्तेमाल किया? इसके बाद राहुल ने इस उच्चतम न्यायालय के हवाले 'चौकीदार चोर है' कहने के लिए उच्चतम न्यायालय से माफ़ी मांग ली है। अब इस मामले में 6 मई को राहुल की तरफ से नया एफिडेविट दाखिल किया जाएगा।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने राहुल गांधी के वकील से पूछा कि जब हमने अपने फैसले में ये बातें (चौकीदार चोर है) नहीं कहीं तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है। अदालत ने राहुल गांधी के हलफनामे की भाषा पर भी सवाल खड़े किए हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा है कि दूसरा हलफनामा क्यों दाखिल किया गया है, आपने कहां पूरा खेद जताया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस कौल ने राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि आप अपनी गलती जस्टिफाई कर रहे हैं, जिस पर सिंघवी ने अपनी बात रखने के लिए 10 मिनट मांगे, तो जज ने कहा कि आप 10 नहीं 30 मिनट लें, लेकिन जवाब दें।

अभिषेक मनु सिंघवी ने माना कि उनके हलफनामे में तीन गलतियां हैं, जिसको वह मानते हैं। उन्होंने कहा कि वह खेद प्रकट करते हैं, जो माफी समान ही है। उन्होंने कहा कि मैं तीन गलतियां मानता हूं, लेकिन हमारा राजनीतिक रुख भी है। सिंघवी बोले कि खेद और माफी समान है, चाहे तो वह डिक्शनरी दिखा सकते हैं, जिस पर अदालत ने कहा है कि उसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। सिंघवी ने यह भी कहा कहा मैंने तीन गलती की थीं और मैं इनके लिए माफ़ी मांगता हूं। उच्चतम न्यायालय के हवाले से मैंने जो कहा वो सभी गलत था।

हालांकि सिंघवी की दलील से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और कोर्ट ने पूछा कि आपकी ये माफी एफिडेविट से क्यों जाहिर नहीं हो रही है। इसके बाद सिंघवी ने कहा कि हम एक नया एफिडेविट फ़ाइल करना चाहते हैं। कोर्ट ने इस पर सहमति दे दी है अब 6 मई को राहुल की तरफ से नया एफिडेविट दाखिल किया जाएगा।

उच्चतम न्यायालय ने राफेल पर दाखिल पुनर्विचार याचिका की सुनवाई को टालने की केंद्र सरकार की मांग को मानने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं उच्चतम कोर्ट ने केंद्र से शनिवार 4 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा, जिससे सोमवार 6 मई को अगली सुनवाई हो सके। मामले की सुनवाई कर रही पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय कौल और के एम जोसफ शामिल थे।

केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से मांग की थी कि राफेल पर सुनवाई को करीब 4 हफ्ते के लिए टाल दिया जाए। कहा गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए नए दस्तावेजों के हिसाब से जवाब तैयार करने में उन्हें करीब 4 हफ्ते का वक्त चाहिए। इसपर पीठ ने कहा कि केंद्र को अपना जवाब शनिवार तक देना है। इसके साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख तय की है।

इससे पहले भी केंद्र सरकार ने मंगलवार की सुनवाई को टालने की भी गुजारिश की थी, जिसे उच्चतम न्यायालय ने नहीं माना था। हालांकि कोर्ट ने केंद्र को अतिरिक्त हलफनामा दायर करने की अनुमति दी थी।

**क्या है मामला**

10 अप्रैल को राफेल केस में फिर से सुनवाई की अनुमति उच्चतम न्यायालय ने दी थी। उच्चतम न्यायालय ने राफेल मामले में रिव्यू पिटिशन पर नए दस्तावेज के आधार पर सुनवाई का फैसला किया। तीनों जजों ने एक मत से दिए फैसले में कहा कि जो नए दस्तावेज डोमेन में आए हैं, उन आधारों पर मामले में रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई होगी।

**मोदी और शाह के खिलाफ याचिका पर चुनाव आयोग से मांगा जवाब**

कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी चीफ अमित शाह के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत पर उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। कांग्रेस सांसद ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल कर पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर कथित तौर पर हेट स्पीच और सशस्त्र बलों के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग इस मसले पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है।

सुष्मिता देव असम के सिल्चर से कांग्रेस की सांसद हैं और पार्टी की महिला विंग की नैशनल प्रेजिडेंट भी हैं। चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की सदस्यता वाली बेंच ने इस मसले की अगली सुनवाई गुरुवार को करने का फैसला लिया है।

सुष्मिता ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग पर निष्क्रियता का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग की ओर से इन नेताओं के खिलाफ फैसला न लेना पक्षपातपूर्ण है। आयोग का यह रवैया चुनाव प्रक्रिया पर आघात जैसा है। याचिका में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कई रैलियों का जिक्र करते हुए कहा है कि उन्होंने कई मौकों पर आचार संहिता का उल्लंघन किया। सुष्मिता ने 1 अप्रैल को पीएम मोदी की महाराष्ट्र के वर्धा की रैली का जिक्र भी किया। यहां उन्होंने 'भगवा आतंकवाद' के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा था।

**मोदी को क्लीनचिट**

चुनाव आयोग ने पीएम नरेंद्र मोदी को सेना के नाम पर वोट मांगने के आरोपों पर क्लीनचिट दे दी है। आयोग ने कहा है कि पीएम मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया। इस मामले पर पिछले कुछ दिनों से काफी सियासी विवाद चल रहा था और मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गया था। आखिरकार चुनाव आयोग ने हाई लेवल मीटिंग के बाद पीएम के खिलाफ शिकायत की जांच की और उन पर लगे आरोपों को खारिज किया।